न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–36/2021 (2021/127) वादपत्र

अनवान

1. भवरंलाल पिता देवीलाल ढोली निवासी नाहरी, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. श्यामलाल पिता देवीलाल ढोली निवासी नाहरी, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. बंशीलाल पिता अम्बालाल ढोली निवासी नाहरी, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. फारूख मोहम्मद – **अधिवक्ता वादी**
2. हरिश टेलर – **अधिवक्ता प्रतिवादी**

निर्णय

दिनांकः–17.05.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नाहरी पटवार मण्डल नाहरी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1777 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 1778 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 1779 रकबा 0.02 है0 गे.मु.आ.चा., आराजी संख्या 1831 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 1845 रकबा 0.36 है0, आराजी संख्या 693 रकबा 2.16 है0 कुल किता 06 कुल रकबा 3.02 है0 भूमि खाता संख्या 369 पर दर्ज रेकार्ड होकर स्थित है। प्रमाण में वर्तमान जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस वाद पत्र के साथ पेश है। वाद पत्र की कलम नं0 1 में अंकित आराजियात में वादीगण का 1/2 हिस्सा निहित है व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है। वादीगण एवं प्रतिवादी अपने अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण एवं प्रतिवादी के सामलाती रूप से दर्ज होने से तथा हिस्सा अलग से निर्धारित नही होने से वादी के अपने हक व हिस्से को विकास आदि कर कृषि उपयोग उपभोग हेतु भूमि सुधार करने में तथा लगान जमा कराने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिससे वादीगण वाद पत्र की कलम नं0 1 में अंकित आराजियात में आराजी संख्या 1779 रकबा 0.02 है0 गेमुआचा को शामलाती बदस्तुर रखते शेष आराजियात में वादीगण का 1/2 हिस्से का मौके पर कब्जे को प्राथमिकता देते हुए वादीगण का निहित संयुक्त 1/2 हिस्से क[illegible] की अज्ञाप्ति बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण के सादिर फरमाई जावे। साथ ही [illegible] आराजियात में वादीगण के 1/2 हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की [illegible]जी न त[illegible] करे न किसी अन्य से करावे तथा वादी को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभो[illegible] करने देवे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकर[illegible] दिनांक 14.07.2021 [illegible] दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उपस्थित होकर अपना हिस्सा कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए अलग कराने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:23:11 IST
Reason: SelfAttested

निवेदन किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 2 फोरमल पक्षकार है जिससे वादीगण द्वारा कोई अनुतोष नही चाहा गया।

प्रकरण में उभयपक्ष को सुनते हुए इस न्यायालय द्वारा दिनांक 08.10.2021 को वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम नाहरी पटवार मण्डल नाहरी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1777 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 1778 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 1779 रकबा 0.02 है0 गे.मु.आ.चा., आराजी संख्या 1831 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 1845 रकबा 0.36 है0, आराजी संख्या 693 रकबा 2.16 है0 कुल किता 06 कुल रकबा 3.02 है0 भूमि में आराजी संख्या 1779 रकबा 0.02 है0 शामलाती रखते हुए शेष आराजियात मे से वादीगण का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

उक्त प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना में तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 05.05.2022 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और उभयपक्ष अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम नाहरी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 369 में प्रस्तावित आराजी संख्या 1831 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 1845 रकबा 0.36 है0, आराजी संख्या 693/1 रकबा 1.08 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.47 है0 भूमि भंवरलाल पुत्र देवीलाल 1/2 ढोली रहन बी.ओ.बी. आशाहोली श्यामलाल पुत्र देवीलाल 1/2 ढोली सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1777 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 1778 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 1779 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 693/2 रकबा 1.08 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.55 है0 भूमि बंशीलाल पुत्र अम्बालाल ढोली सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आशाहोली के नाम रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन [illegible] ना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 17.05.2022 को मेरे [illegible] लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:23:11 IST
Reason: SelfAttested

17/05/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–36 / 2021 (2021 / 127) वादपत्र

अनवान

1. भवरंलाल पिता देवीलाल ढोली निवासी नाहरी, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. श्यामलाल पिता देवीलाल ढोली निवासी नाहरी, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. बंशीलाल पिता अम्बालाल ढोली निवासी नाहरी, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतीवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम नाहरी तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 369 में प्रस्तावित आराजी संख्या 1831 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 1845 रकबा 0.36 है0, आराजी संख्या 693 / 1 रकबा 1.08 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.47 है0 भूमि भंवरलाल पुत्र देवीलाल 1 / 2 ढोली रहन बी.ओ.बी. आशाहोली श्यामलाल पुत्र देवीलाल 1 / 2 ढोली सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1777 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 1778 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 1779 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 693 / 2 रकबा 1.08 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.55 है0 भूमि बंशीलाल पुत्र अम्बालाल ढोली सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा आशाहोली के नाम रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 17.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

17/05/2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (राज.) रायपुर जिला-भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.06.28 11:23:11 IST
Reason: SelfAttested